

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 136/2020 (2020/00691)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 21.12.2020

शीर्षक

महावीर पिता भगवान माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. धर्मेश कुमार पिता सुरेन्द्र कुमार लोढ़ा
2. तुलसीराम पिता जयराम तेली
3. बंशीलाल पिता हरजी माली
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. नर्बदा पत्नि शांतिलाल लौहार निवासी सेक्ट0 20 नवी मुम्बई।
5. नाथुलाल पिता श्रीराम लुहार निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. नारायण पिता लादूलाल लौहार निवासी मौखुन्दा
7. कंकू पत्नि जीवराज जाट निवासी शिवरती
8. विष्णु पिता जीवराज जाट निवासी शिवरती
9. सांवरमल पिता जीवराज जाट निवासी शिवरती
10. कमला पिता रामपाल लुहार निवासी गंगापुर
11. कैलाश पिता रामपाल लुहार निवासी गंगापुर
12. गोपी पिता शंकर लुहार निवासी गंगापुर
13. प्रकाश चन्द्र पिता भैरूलाल लौहार निवासी गंगापुर
14. भैरूलाल पिता शंकर लुहार निवासी गंगापुर
15. मुकेश कुमार पिता छोटूलाल माली निवासी गंगापुर
16. मदनलाल पिता सोहनलाल लुहार निवासी गंगापुर
17. मांगीलाल पिता रामपाल लुहार निवासी गंगापुर
18. माधवलाल पिता लालूराम लुहार निवासी गंगापुर
19. रामचन्द्र पिता कन्हैयालाल लुहार निवासी गंगापुर
20. रामेश्वर लाल पिता कन्हैयालाल लुहार निवासी गंगापुर
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री अरविंद चौधरी



उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-05.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 7611/5320 रकबा 0.40 हे0, आराजी संख्या 7614/5336 रकबा 0.23 हे0, आराजी संख्या 7616/5335 रकबा 0.21 हे0, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.48 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 946 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 19 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 4 एवं 20 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई कार्यवाही नहीं चाही। विपक्षी संख्या 21 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 7611/5320 रकबा 0.40 हे0, आराजी संख्या 7614/5336 रकबा 0.23 हे0, आराजी संख्या 7616/5335 रकबा 0.21 हे0, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.48 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 946 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में देखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उप-खुद-अधिकारी
गंगापुर जिला-मीलवाड़ा